प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3– उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
4– उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली/रूद्रप्रयाग/पौढ़ी गढ़वाल/टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 01 जून, 2023।

विषयः पर्वतीय क्षेत्र हेतु यथा ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे अपेक्षित रेग्युलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक यह अवगत कराना है कि आवास विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–1995/V–2/–2017–58 (आ0)/2014, दिनांकः 29.11.2017 के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र यथा ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे अपेक्षित रेग्यूलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 10.12.2015 तथा अन्य निर्णयों के क्रम में जारी किये गये थे।

2– आवास विभाग के उक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं रेग्यूलेटरी क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, जिसमें अनुमन्य गतिविधियाँ तथा प्रतिषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। राज्य में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 लागू है तथा इसमें नदियों के किनारे बाढ़ मैदान क्षेत्रों की घोषणा सिंचाई विभाग द्वारा की जाती है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा राज्य में प्रवाहित विभिन्न नदियों, जिनका बहाव क्षेत्र भिन्न–भिन्न जनपदों में है, के संबंध में बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

3– उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की सुसंगत धाराओं के अनुरूप सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विभिन्न जिलों में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में रींचों की अधिसूचनायें निर्गत की गयी हैं:–

1– अलकनन्दा नदी, 2– मंदाकिनी नदी, 3– सरस्वती नदी (श्री केदारनाथ धाम में लगभग 0.9 कि0मी0 लम्बाई), 4– भागीरथी नदी, 5– भिलंगना नदी, 6– गंगा नदी,

उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 की धारा–12 के अन्तर्गत ऐसे जनपद जिनके सम्पूर्ण भाग या अधिकांश भाग पर्वतीय है, के संबंध में निर्गत अधिसूचनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 01/06/2023 12:58 PM

क्र.सं.	जनपद	अधिसूचना संख्या
1	चमोली	संख्याः 928 / ।।(2) / 2021–06(16) / 2020, दिनांक 08–07–2021,(प्रति संलग्न)।
2	रूद्रप्रयाग	(अ)संख्याः 1943 / ।।(2) / 2021–06(14) / 2020, दिनांक 31–12–2021(प्रति संलग्न)। (ब)संख्याः (49689 / 2022), ई–फाईल संख्या : 22200 दिनांक 14–07–2022(प्रति संलग्न)।
3	पौढ़ी गढ़वाल	संख्या : 05 / ।।(2) / 2021–06(17) / 2020, दिनांकः 03–01–2022, (प्रति संलग्न)
4	टिहरी गढ़वाल	संख्याः 926 / ।।(2) / 2021–06(15) / 2016, दिनांकः 08–07–2021, (प्रति संलग्न)
5	उत्तरकाशी	(अ)संख्याः 927 / ।।(2) / 2021–06(66) / 2016, दिनांकः 08–07–2021, (प्रति संलग्न) (ब)संख्याः 829 / ।।(2) / 2018–06(66) / 2016, दिनांकः 11–05–2018, (प्रति संलग्न)
6	उक्त जनपदों के लिए संशोधित अधिसूचना।	संख्याः (49691 / 2022), ई–फाईल संख्याः 22200, दिनांकः 14–07–2022, (प्रति संलग्न)

4— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चमोली / रूद्रप्रयाग / पौढ़ी गढ़वाल / टिहरी गढ़वाल / उत्तरकाशी के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों, जिनके संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र घोषित करते हए उक्त अधिसूचनायें निर्गत की गयी हैं, उन क्षेत्रों के संबंध में अनुमन्य गतिविधियाँ, उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार होंगी।

इन विकास प्राधिकरणों के ऐसे क्षेत्र, जिनके संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र की घोषणा नहीं की गयी है, उनके संबंध में आवास विभाग के शासनादेश संख्या–1995 / V–2–2017–58 (आ0)14 / 2014, दिनांकः 29.11.2017 के प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाली बाढ मैदान प्रक्षेत्र की अधिसूचनायें आवास विभाग में स्वतः लागू होंगी।

5 — आवास विभाग के शासनादेश संख्या–1995 / V–2–2017–58(आ0) 14 / 2014, दिनांकः 29.11.2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष निर्देश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 01-06-2023 12:47:03
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 01/06/2023 12:58 PM

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2— सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4— वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5— गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by PRAMOD KUMAR, RO-PK, REVIEW OFFICER, Aawas Department on 01/06/2023 12:58 PM

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या 928/ II(2)/2021–06(16)/2020
देहरादून: दिनांक 08 जुलाई, 2021

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद चमोली में अलकनन्दा नदी के बांया तट पर माणा से तौली लगा रानो 135.00 कि0मी0, अलकनन्दा नदी के बांया तट माणा से सोनला तक 112.00 कि0मी0, अलकनन्दा नदी के बांया तट पर सोनला से कमेड़ा तक 22.00 कि0मी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1874/II(2)–2020–06(16)/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थातः–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियॉ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

7/7/2021
ह0 (एस0एन0मुरुगेशन)
सचिव।

संख्या 928/II(2)/2021–06(16)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, चमोली।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, चमोली।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC चमोली की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0 (जे0एल0शर्मा)

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या 1993/ I(2)/2021–06(14)/2020
देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रूद्रप्रयाग के सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सिल्ली से रूद्रप्रयाग संगम 15.55 कि0मी0 तक एवं अलकनंदा नदी पर घोलतीर से सिरोबगड़ तक 26.35 कि0मी0 तथा सिंचाई खण्ड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के दोनो तटों पर सिल्ली से गौरीकुण्ड 111.00 कि0मी0, गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक 10.00 कि0मी0 तक रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1876 दिनांक 07.10.2020, अधिसूचना संख्या–1080 दिनांक 13.08.2020 एवं अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 07.09.2020 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र. सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

क्रमशः...2

IRR-2-10/10.1/1/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department-Part(1)
/2303/2022/IRRIGATION SECTION 2 Irrigation and Minor Irrigation Department-Part(1)
678457/2022/IRRIGATION SECTION 2 ... No. 2
1/49689/2022

उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

ई–पत्रावली संख्या–22200

देहरादून: दिनांक 14 जुलाई, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रूद्रप्रयाग के सिंचाई खण्ड केदारनाथ में सरस्वती नदी के दोनों किनारों पर वीआईपी हैलीपैड से मंदाकिनी तथा सरस्वती के संगम तट तक दोनों तटों की कुल लम्बाई 1.8 किमी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 119/ II(2)–2021–06(92)/2020, दिनांक 19 जनवरी, 2021 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियाँ और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 13-07-2022 15:27:49

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

Generated from eOffice by RANVIR SINGH, RO-RS, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 14/07/2022 11:1? AM

क्रमशः...2

-2-

<u>ई-पत्रावली संख्या-22200 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून
5. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC रूद्रप्रयाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-07-2022 17:38:48

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या 057/II(2)/2021–06(17)/2020
देहरादून: दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 जनवरी-22

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पौड़ी गढ़वाल के सिंचाई खण्ड दुगड्डा में गंगा नदी पर बागी व्यास घाट (देवप्रयाग) बांये पार्श्व से भीमगोड़ा बैराज (हरिद्वार) बांये पार्श्व तक 88.00 कि0मी0 तथा सिंचाई खण्ड श्रीनगर के अलकनंदा नदी के डुंगरीपंथ(डेम साईड) से व्यासघाट देवप्रयाग तक 53.00 कि0मी0 क्रमशः रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–627 दिनांक 11.08.2020 एवं अधिसूचना संख्या–1081 दिनांक 13.08.2020 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

ह० (हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या 057/II(2)/2021–06(17)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी,पौड़ी।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पौड़ी गढ़वाल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC जनपद पौड़ी गढ़वाल की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह० (जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या 926/ II(2)/2021–06(15)/2020
देहरादूनः दिनांक 8 जुलाई, 2021

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना नदी के दोनो किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68.00 कि0मी0, गंगा नदी के दांये किनारे पर देवप्रयाग संगम से ढ़ालवाला ड्रेन मुनिकी रेती तक 68.00 कि0मी0, भागीरथी के दोनो किनारों पर कोटेश्वर डैम से देवप्रयाग संगम तक 22.50 कि0मी0, अलकनन्दा के दांये किनारे पर श्रीनगर डैम से देवप्रयाग संगम तक 37.00 कि0मी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1829/II(2)–2020–06(15)/2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

8/7/2021
(एस0ए0मुरूगेशन)
सचिव।

संख्या 926 / II(2)/2021–06(15)/2020, तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, टिहरी गढ़वाल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC टिहरी की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे0एल0शर्मा)

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या927/ I I(2)/2021–06(66)/2016
देहरादूनः दिनांक 08 जुलाई, 2021

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी के भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर गंगोत्री से गंगनानी तक 42.00 कि0मी0, गंगनानी से गंगोरी तक 33.85 कि0मी0, बड़ेथी चुंगी से धरासूं पावर हाउस (चिन्यालीसौड़ तक) 25.00 कि0मी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1866/ I I(2)–2020–06(66)/2016, दिनांक 05.10.2020 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थातः–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

ह0 7/7/2021
(एस0एस0सुन्दरम)
सचिव।

संख्या927/ I I(2)–2021–06(66)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक सुस्पष्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC उत्तरकाशी की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0
(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

11-5-18

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या 829 / ।।(2)–2018 / 06(66) / 2016
देहरादून: दिनांक, 11 मई, 2018

अधिसूचना
विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी के भागीरथी नदी में तहसील भटवाड़ी के ग्राम गंगोरी से बड़ेथी चुंगी तक 10 कि0मी0 रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 382 / ।।–2017–06(66) / 2016, दिनांक 28.02.2017 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में वर्णित क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात:–

क्र0सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध / बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियाँ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण / अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 829 / ।।(2)–2018–06(66) / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व / आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी / बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)।
6. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक सॉफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC उत्तरकाशी की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
ई–पत्रावली संख्या–22200
देहरादून: दिनांक 15 जुलाई, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तालिका में उल्लिखित जिलों हेतु, पूर्व में निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिषिद्ध क्षेत्र एवं निर्बन्धित क्षेत्र में अनुमन्य कार्यों में निम्नवत् परन्तुक अंतः स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है; अर्थात्:–

"परन्तु, राज्य सरकार, अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

तालिका

क्र0	जिला	पूर्व में निर्गत अधिसूचना
1	रुद्रप्रयाग	अधिसूचना संख्या–1943 / II(2)/2021-06(14)/2020 दिनांक 31.12.2021
2	टिहरी गढ़वाल	अधिसूचना सं0–926/ II(2)/2021-06(15)/2020 दिनांक 08.07.2021
3	चमोली	अधिसूचना सं0–928/ II(2)/2021-06(16)/2020 दिनांक 08.07. 2021
4	पौड़ी गढ़वाल	अधिसूचना संख्या–05/ II(2)/2021-06(17)/2020 दिनांक 03.01.2022
6	उत्तरकाशी	अधिसूचना सं0–927/ II(2)/2021-06(66)/2016 दिनांक 08.07.2021
		अधिसूचना संख्या– 829/ II(2)/2021-06(66)/2016 दिनांक 11.05.2018
7	हरिद्वार	अधिसूचना संख्या–828/ II(2)/2021-06(65)/2016 दिनांक 11.05.2018

2– पूर्व में निर्गत, तालिका में उल्लिखित सभी अधिसूचनाओं को, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अधिसूचनाओं के अन्य नियम और शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 13-07-2022 15:26:39
(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून
5. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सम्बन्धित जनपद।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-07-2022 17:40:48
(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।